



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012848/FNOC/COL/2024/7330
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Jan-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : MANAGER, TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL, VIDISHA ROAD
ASHOKNAGAR, (A UNIT OF NIRMAL JYOTI SOCIETY BINA)
ASHOKNAGAR 473331
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2528 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL VIDISHA ROAD ASHOKNAGAR
ASHOK NAGAR NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100012848 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति ,
TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL
MANAGER, TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL, VIDISHA ROAD ASHOKNAGAR, (A UNIT OF NIRMAL JYOTI
SOCIETY BINA) ASHOKNAGAR 473331

विषय- आवेदन क्रमांक - 6100012848 शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL VIDISHA ROAD ASHOKNAGAR ASHOK NAGAR NAGAR
PALIKA. के द्वारा भवन के 2528 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 12 मीटर ऊंचे भवन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माँगा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित
प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. आवेदक द्वारा पूर्व में प्रदाय एन ओ सी , सपथ पत्र ,फायर ऑडिट रिपोर्ट एवं विधुत प्रमाणीकरण आवेदन में ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है।



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012848/FNOC/COL/2024/7330
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Jan-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL

2. आवेदक को नगर पालिका अशोकनगर से प्राप्त भवन अनुज्ञा में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

3. आवेदक को पूर्व प्रदाय एन ओ सी में उल्लेखित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

4. भवन का निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा भवन स्वामी एवं अधिकृत फायर कंसल्टेंट की उपस्थिति में किया गया। मॉके पर सभी उपकरणों का सुचारु रूप से क्रियान्वन कराया गया। सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया गया, जिसका विस्तृत उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया है।

5. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित किये गए, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थित किये गए एवं भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन किया गया।



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012848/FNOC/COL/2024/7330
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Jan-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : TARA SADAN HR. SEC. SCHOOL

6. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

7. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक को अग्नि शमन यंत्रों के रख रखाव के लिए अहर्ताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य है।

9. आवेदक को प्रदाय किया जा रहा " फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " जारी दिनांक से तीन (3) वर्ष तक मान्य होगी। आवेदक को प्रत्येक वर्ष सपथ पत्र एवं फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एन ओ सी की अबधि समाप्त होने के दो माह पूर्व पुनः आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदक को उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। शर्तों का पालन न किये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

